

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेश कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 fax: (0755) 2463742 e-mail: mppcb@rediffmail.com


कमांक 3234/स्था/प्रनिबो/2022

भोपाल, दिनांक

कार्यालय आदेश

23 AUG 2022

राज्य बोर्ड की 161 वीं बैठक दिनांक 3 अगस्त 2022 में एजेण्डा बिन्दु कमांक 2.5 पर लिये गये निर्णय अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, एवं माननीय एनजीटी नई दिल्ली के समक्ष बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री राघव शर्मा, रिटेनर का एवं माननीय एनजीटी भोपाल के समक्ष बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुश्री पारूल भदौरिया सक्सेना, रिटेनर का दिनांक 1/8/2022 से प्रतिमाह रुपये 75,000/- पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। राज्य बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार रिटेनर की सेवा शर्तों के निर्धारण संबंधी आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।



(ए०ए० मिश्रा)

सदस्य सचिव

भोपाल, दिनांक 23 AUG 2022

पृ० कमांक 3235/स्था/2022

प्रतिलिपि:-

- 1 स्टाँफ ऑफिसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ
- 2 विधि/वित्त अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 3 श्री राघव शर्मा, रिटेनर, माननीय उच्चतम न्यायालय, एवं माननीय एनजीटी नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 4 सुश्री पारूल भदौरिया सक्सेना, रिटेनर, माननीय एनजीटी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 5 नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल/आईटी शाखा/कार्यालय आदेश

(ए०ए० मिश्रा)

सदस्य सचिव,



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेय कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 748 विधि/प्रनिबो/2020
प्रति,

भोपाल, दिनांक 1 SEP 2020

श्री राघव शर्मा,
अधिवक्ता,
बी-5/202, भूलल,
सफदरगंज इन्वलेव,
नई दिल्ली


विषय:- रिटेनर अधिवक्ता के रूप में बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करने बावत् ।

- सन्दर्भ:- 1 पर्यावरण विभाग द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय को प्रेषित पत्र क्रमांक 405/389/2020/32-3 दिनांक 28/7/2020
- 2 पर्यावरण विभाग का पत्र क्रमांक 468/388/2020/32-3 दिनांक 28/8/2020

राज्य बोर्ड की 155 वीं बैठक में लिये गये निर्णय तथा मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेन्च, नई दिल्ली के समक्ष म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आपको रिटेनर के रूप में रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख प्रतिमाह) पारिश्रमिक पर नीचे उल्लिखित सेवा शर्तों के तहत अस्थाई तौर पर नियुक्त किया जाता है :-

- 1 रिटेनर अधिवक्ताओं द्वारा बोर्ड के आदेश दिनांक 9/1/2020 अनुसार किसी न्यायालय के समक्ष बोर्ड के विरुद्ध किसी अन्य संस्थान/व्यक्ति का पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जायेगा ।
- 2 रिटेनर अधिवक्ताओं को उपरोक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के पारिश्रमिक अथवा भत्ते इत्यादि का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
- 3 बोर्ड को सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने पर सेवा समाप्ति के सन्दर्भ में कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

अध्यक्ष द्वारा आदेशित


(ए०/ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव,

पृ० क्रमांक 749 विधि/प्रनिबो/2020
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 1 SEP 20

- 1 स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 2 विधि/वित्त अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 3 ऑर्डर बुक, गार्ड फाईल, आई टी शाखा